

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान-जयपुर
क्रमांक:-एफ-1069/योजना/निर्माण/2023/ दिनांक:

कार्यालय आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम संस्करण प्रथम पार्ट-III वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बिन्दु संख्या 7(1) के तहत विज्ञापन और प्रकाशन व्यय के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन क्रमोन्नत उप जिला चिकित्सालय नेछवा जिला सीकर में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार भूमि के प्रत्यावर्तन एवं वृक्षों के संबंध में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले सामाचार पत्रों में अक्षरतः प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ-1069/योजना/निर्माण/2023/938
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 29/08/2023

1. विशिष्ट सचिव, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, अति मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. निजि सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
4. निजि सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन सीकर/जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जिला सीकर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उपजिला चिकित्सालय नेछवा जिला सीकर।
9. प्रभारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय सर्वर पर उपलोड करे।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर